



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक: एफ.1(1)(124)निमअ/स्था/2017/पार्ट-1 20254

जयपुर, दिनांक : 11/10/2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 15007 दिनांक 18.08.2020 एवं आदेश 15195 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता परीक्षा-2018 में श्री श्रीराम यादव का चयन होने पर विभागीय आदेश क्रमांक 17333 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा नियुक्ति स्थान पर कार्यग्रहण हेतु स्वयं की प्रार्थना पर एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया था।

श्री यादव को स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 30.10.2020 तक का कार्यग्रहण करने की अवधि में छूट प्रदान की जाती हैं।

आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक: एफ.1(1)(124)निमअ/स्था/2017/पार्ट-1 20255-26 जयपुर, दिनांक : 11/10/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर।
5. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री श्रीराम यादव, सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता, ब्लॉक-जवाजा, अजमेर।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.